380/10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 FEB 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921936

श्री गणेशाय नमः

न्यास–विलेख

कार्यालय उपनिबन्धक, जोन– कानपुर नगर

1	प्रस्तुत दिनांक	:	19.07.2023
2	निष्पादन दिनांक	:	19.07.2023
3	लेखपत्र का प्रकार	:	न्यास–पत्र
4	प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता	:	विपिन कुमार सिंह वयस्क पुत्र शिव कुमार सिंह, निवासी–127/26, डब्ल्यू ब्लाक केशव नगर हमीरपुर रोड, कानपुर नगर
5	न्यास घोषित करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	:	विपिन कुमार सिंह वयस्क, पुत्र श्री शिव कुमार सिंह निवासी–127/26, डब्ल्यू ब्लाक, केशव नगर, हमीरपुर रोड, कानपुर नगर (अध्यक्ष) मो0नं0–8808050006 आधार–000000004313 पैन नं0–AJRPS6709G
		:	वीना सिंह पत्नी विपिन कुमार सिंह निवासिनी–127/26, डब्ल्यू ब्लाक, केशव नगर, हमीरपुर रोड, कानपुर नगर (उपाध्यक्ष) मो0नं0–8808050014 आधार–000000009539 पैन नं0–AGYPS2612J
6	न्यास सम्पत्ति	:	रूपये 11,000/–नकद (रूपये ग्यारह हजार मात्र)
7	देय/अदा स्टाम्प शुल्क	:	रूपये 750/–

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-3 FEB 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921937

मैं विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री शिव कुमार सिंह आयु लगभग 60 वर्ष निवासी 127/26 w-block केशव नगर हमीरपुर रोड कानपुर जिसको इस पर लेख का संस्थापक न्यास करता मुख्य न्यासी कहा गया है इस पर लेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूं।

न्यास का नाम एसएस इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट

न्यास का पता 127/26 डब्ल्यू ब्लॉक केशव नगर हमीरपुर रोड कानपुर।

विदित हो कि मैंने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित की है इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाएं खोलना एवं उनकी सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता संबद्धता लेना चिकित्सा सेवा चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा उच्च व्यवसायिक शिक्षा आवासीय विद्यालय चिकित्सालयओं औद्योगिक विद्यालय कृषि कॉलेज मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज प्रबंधकीय शिक्षा बी एड कॉलेज बीटीसी कॉलेज प्राइवेट आई टी आई प्रौढ़ शिक्षा तकनीकी शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अंतर्गत संचालित होने वाली जन सेवाओं का सर्व धर्म सुखाय एवं सर्व धर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय के कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है।

1. यह कि न्यास का गठन रुपया 11,000 से आरंभ किया जा रहा है।
2. यह की संस्थापक न्यास करता द्वारा स्थापित उपन्यास का पंजीकृत कार्यालय 127/26w ब्लॉक केशव नगर हमीरपुर रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। उपन्यास के कार्यों को सुचारु रुप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों को सुगम परिपूर्तिके लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश व प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जाएंगी और उन कार्यालयों के पते उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

V.K.Singh

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921938

3 FEB 2023

3. विपिन कुमार सिंह के त्याग पत्र अथवा निधन के पश्चात रिक्त हुए संस्थापक (मुख्य न्यासी)के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियम अधिनियमों के संगत व्याख्या व उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप मुझ मुख्य न्यासी विपिन कुमार सिंह के उत्तराधिकारी मुख्य न्यास कर्ता के पद को ग्रहण करेंगे।
4. यह कि मैं विपिन कुमार सिंह उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूंगा तथा न्यास के अंतर्गत संपन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का अध्यक्ष भी कहा जाऊंगा न्यास के संचालन वह व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूं मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित निवासियों से मैंने न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में काम करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है इस प्रकार मेरे द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जाएगा तथा मुख्य न्यासी एवं न्यासियों का संयुक्त रूप से न्यास मंडल कहा जाएगा भविष्य में भी संस्थापक मुख्य न्यासी केरूप में मेरे जीवन पर्यंत मेरे द्वारा अन्य लोगों को न्यास मंडल के न्यासी के रूप में नामित किए जाने का अधिकार मेरे द्वारा सुरक्षित रहेगा मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरे निघन के उपरांत इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यंत न्यास मंडल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किए जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

V Singh

Principal
Sughar Singh Academy
Khandupur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandupur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921939

क्र. सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री विपिन कुमार सिंह	श्री शिव कुमार सिंह सेंगर	अध्यक्ष मुख्य न्यासी	127 बटे 26 ब्लॉक केशव नगर हमीरपुर रोड कानपुर	पेंशनर खेती	
2	श्रीमती वीना सिंह	श्री विपिन कुमार सिंह	उपाध्यक्ष न्यासी	127 बटे 26w ब्लॉक केशव नगर हमीरपुर रोड कानपुर	ग्रहणी शिक्षाविद	

5.न्यास के उद्देश्य

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. प्रस्तुत प्रलेख के अंतर्गत गठित किए जा रहे इस न्यास का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय के सामाजिक नैतिक मानसिक चारित्रिक शैक्षिक कलात्मक अध्ययनात्मक आत्मिक बौद्धिक विकास करना है न्यास के अंतर्गत सामाजिक उत्थान एवं विकास शिक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता की दृष्टि से संपादित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रमों को तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को जनहित में बिना लाभ के संचालित किया जाएगा।
2. न्यास के माध्यम से समाज कल्याण उत्तर प्रदेश केंद्रीय एवं राज्य विकास मंत्रालय नारी कला केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्राम विकास योजना एवं बाल विकास परियोजनाओं का संचालन में सहयोग प्रदान करना तथा महिला समूह का गठन करना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय कपाट नाबार्ड यूनिसेफ सिप्सा सूडा डूडा हेल्प एज इंडिया अपैक्स इंडिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना।

3. निर्धन निराश्रित पिछड़े दृष्टिहीन मूक-बधिर विकलांग पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा बच्चों के लिए निशुल्क चिकित्सा भोजन वस्त्र एवं पुस्तक की सहायता उपलब्ध कराना।
4. स्वरोजगार अपनाने हेतु महिलाओं पुरुषों को कंप्यूटर प्रशिक्षण सिलाई कढ़ाई बुनाई ललित कला शिल्प कला फल एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उसमें स्वावलंबन की भावना जागृत करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निशुल्क पुस्तकालय वाचनालय की स्थापना करना।
5. समाज के निर्बल अनु सूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगार परक बनाना।
6. जन सामान्य नैतिक मूल्यों में सुधार के हेतु छुआछूत जातिवाद बाल श्रम बाल विवाह तथा महिला उत्पीड़न भिक्षावृत्ति युवकों में धूम्रपान मदिरापान आदि के निवारण हेतु जागरूकता शिविरों सेमिनारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना व गरीब वयस्क युवक-युवतियों हेतु दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
7. जन सामान्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर टीकाकरण प्रतिरक्षण शिविर नेत्र शिविर रक्तदान शिविर पल्स पोलियो शिविर को निशुल्क आयोजित करवाना वह विश्व एड्स दिवस एवं विभिन्न प्रकार के वेलफेयर कार्यक्रमों को समय-समय पर करवाते रहना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे शिशु कल्याण मातृ कल्याण परिवार कल्याण परिवार नियोजन एड्स कैंसर टीवी हार्ड डिस्क हेपेटाइटिस मलेरिया लेप्रोसी मधुमेह नेत्र विकार पीलिया लिकोरिया आदि की पहचान व रोकथाम हेतु निशुल्क नर्सिंग होम अस्पताल जागरूकता शिविरों

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-3 FEB 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FW 921941

का आयोजन करना एवं भारतीय उपचार पद्धति तिब्बती योग स्पर्श उपचार तथा अन्य प्रकार की उपचार पद्धतियों का निशुल्क प्रचार प्रसार करना एवं संबंधित केंद्रों की निशुल्क व्यवस्था स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना एवं जन हितार्थ निशुल्क चिकित्सालय अनाथालय विधवा आश्रम वृद्धा आश्रम महिलाओं व पुरुषों के लिए शॉर्ट स्टे होम आदि की स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना।

8. शहरी ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों के विकास सुधार व सफाई हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा मलिन बस्तियों में शौचालय सड़क नाली हैंडपंप आदि के क्रियान्वयन में सहयोग करना तथा पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण पाको उद्यान के विकास पौधशाला जल संचयन उद्यान संरक्षण स्वजलधारा स्वच्छ पेयजल ग्राम सफाई जल प्रदूषण वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पुष्टाहार मलिन बस्ती विकास हरियाली कार्यक्रम बागवानी विकास पशु पक्षी संरक्षण स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

9. शिक्षा के प्रचार–प्रसार प्रबंधन व उन्नयन हेतु संबंधित विभागों तकनीकी बोर्डो शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात सीबीएसई आईसीएसई विद्यालय स्नातक परास्नातक विद्यालयों शिक्षण संस्थानों आवासीय विद्यालय विकलांग विद्यालय औद्योगिक विद्यालय कृषि कॉलेज मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज प्रबंध की शिक्षा प्रोढ शिक्षा तकनीकी शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा आदि की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में विश्व विद्यालय संबंधित विभाग एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले संबंधी शासनादेशो का पालन करना तथा गरीब मेधावी अनाथ छात्र छात्राओं को निशुल्क सभी स्तर तक की शिक्षा भारत सरकार राज सरकार अथवा शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराना।

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
CG 660342

16. लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करना व संचालन करना।
17. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचाइजी बनकर उसको बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कंप्यूटर खरीद कर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।
18. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जन मानव के विचारों को जानने के लिए प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
19. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना बेचना प्राप्त करना तथा उन्हें क्रय विक्रय करना पट्टे पर लेना–देना भूमि का हस्तांतरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।
20. धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग का लाभ हो सके।
21. भारतीय संविधान की धारा 3(1) के अंतर्गत विद्यालय शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलकर सभी समुदाय के छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।

6. न्यास की प्रबंध व्यवस्था–

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था न्यास मंडल द्वारा सर्व अनुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जाएगी इस प्रकार न्यास के अंतर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए समिति एवं उप समितियों का गठन किया जाएगा गठित होने वाली प्रत्येक उप समिति समिति प्रबंध समिति प्रबंध मंडल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे अध्यक्ष के पद नाम से भी जाना जाएगा। इस न्यास के अंतर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उप समिति समिति प्रबंध समिति प्रबंध मंडल के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे।

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

2. न्यास की बैठक सामान्यतया वर्ष में चार बार अर्थात हर तीसरी मांह आवश्यक रूप से संपन्न की जाएंगी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक माह बैठक की जा सकती है आकस्मिक स्थिति में माह में दो बार भी बैठक की जा सकती है बैठक हेतु न्यास मंडल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पत्रिका पत्र ईमेल मोबाइल फोन होगा सामान्यतया बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जाएगी किंतु आकस्मिक स्थिति में 24 घंटे के अंदर सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकेगी।
3. बैठक का कोरम न्यास मंडल के 50% न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जाएगा सामान्यतया न्यास मंडल की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा की जाएगी परंतु किसी अपरिहार्य कारणों से निर्धारित बैठक के समय व तिथि पर उपस्थित ना होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यास मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
4. न्यास मंडल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मंडल के निर्णय अधीन होगा इसी प्रकार न्यास मंडल के निर्णय से न्यास के अंतर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम संस्था में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के निलंबन एवं समाप्ति का अधिकार भी न्यास मंडल का होगा।
5. न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रम एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथा वांछित समितियों प्रबंध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत संबंधी नियामक संस्था शासन प्राधिकरण के अधिनियम परिनियम एवं नियमावली के अनुसारअलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उप नियमों का निर्माण करके किया जाएगा जिसका अनुमोदन संबंधित नियामक संस्था प्राधिकरण विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जाएगा। न्यास मंडल का विधिवत गठन हो जाने के उपरांत उक्त समितियों प्रबंध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियम के अंतर्गत न्यास मंडल के निर्णयों से प्रभावी माना जाएगा तथा उसे कार्यक्रम संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जाएगा न्यास मंडल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

7. न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबंध व्यवस्था–

न्यास की स्थापना के उपरांत मूल रूप सेउपलब्ध कराए गए 11000 के अतिरिक्त धन कोष दान अनुदान तथा संपत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित रुप से की जाएगी।

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क दान अनुदान वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जाएगा
2. न्यास मंडल द्वारा लिए गए निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाई जा सकेगी न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए खाता किसी भी राष्ट्रीय कृत मानता प्राप्त बैंक डाकघर में ही खोला जाएगा इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण अनुदान के संबंध में

U.Singh

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

चल अचल संपत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा तथा इसके संबंध में की गई औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर द्वारा की जाएगी

3. किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए चंदे दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल अचल संपत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यास मंडल को होगा दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारिओं को दान दी गई संपत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा

4. न्यास की आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व मुख्य न्यासी का होगा जिससे प्रतिवर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा संपरीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर समपरीक्षित कराया जाएगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यास मंडल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5. विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों शिक्षकों पर शिक्षकों तथा कर्मचारी इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किए जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6. मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से सीमित रूप से हस्तांतरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यक्रमों संस्थाओं प्रबंध समितियों के नाम से विभिन्न बैंक में खाते इत्यादि खुलने एवं बंद करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यास मंडल की सहमति से होगा।

7. इस न्यास के अंतर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था आय वैधता वेतन भुगतान इतिहास की व्यवस्था न्यास मंडल की अनुमति से संबंधित शासकीय नियमों के अंतर्गत किए जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

8. न्यास की संपत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय व्यवस्था–

न्यास की परिसंपत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबंध की व्यवस्था निम्नलिखित रुप से की जाएगी।

1) न्यास की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाएगीतथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी उस पर भी इस न्यास के अंतर्गत निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी।

2) न्यास की ओर से न्यास की संपत्तियों संबंधी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होगा आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को भी अधिकृत कर सकेंगे।

3) न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं व समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन खरीदने अथवा विक्रय करने चल अचल संपत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी न्यास मंडल की अनुमति से कर सकेंगे न्यास मंडल की सर्वसम्मति से न्यास की संपत्तियों को किराए पर जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराए पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यास मंडल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।

4) न्यास की किसी भी अचल संपत्ति को सामान्यतया बेचने अथवा किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार के साथ हस्तांतरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी व्यक्ति को नहीं होगा यदि न्यास मंडल किसी संपत्ति को

V.Singh

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

अनुपयोगी होने की स्थिति में न्यास के हित में बेचे जाने को आवश्यक एवं अपरिहार्य समझता है तो सक्षम न्यायालय अथवा विधिक रुप से प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही उक्त संपत्ति अथवा किसी सामान की बिक्री की जा सकेगी।

5) न्यास की संपत्ति को छत पहुंचाने या दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने का अधिकार न्यास मंडल को प्राप्त होगा न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गठित प्रबंध समितियों एवं प्रबंध समितियों तथा न्यास के अंतर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यास मंडल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई की अपील प्रथमता मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा मुख्य न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अंतिम होगा।

6) न्यास के अंतर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उस की प्रबंध समिति के किन्ही कारणों बस भंग होने की दशा में प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबंध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल अचल संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबंध समिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त ना हो जाए।

7) न्यास अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जाएगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थित में उसके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा संपन्न की जा सकेगी।

8) न्यास अपनी संपत्ति के प्रबंधन एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों के संपादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर संविदा पर सामान्य रूप से करेगा तथा न्यास मंडल न्यास के हित संवर्धन के लिए वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

9) न्यास के कार्य संचालन हेतु समय–समय पर सभी वित्तीय एवं कानूनी जानकारी प्राप्त करेगा आवश्यकता होने पर आयकर अधिनियम की धारा 12A, 80G में छूट के लिए तथा एफसीआरए के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराएगा।

10) न्यास का पंजीकरण इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत किया जा रहा है तथा न्यास नॉनप्रॉपराइटरी है।

09. न्यास के अभिलेख।

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने कराने व रखरखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर संपत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जाएगा।

लिहाजा ब दुरुस्ती होश हवास अपने बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के अपनी खुशी व रजामंदी के गठन व स्थापना के बाबत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे

न्यास द्वारा स्थापित संचालित एवं संबद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली प्रशासन योजना निम्नलिखित रुप से होगी–

V.Singh

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

नियमावली

1	कार्यक्षेत्र	संपूर्ण भारतवर्ष।
2	न्यास के उद्देश्य	न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार
3	न्यास की सदस्यता	न्यास मंडल में मुख्य न्यासी व न्यासी साधारण सभा के सदस्य माने जाएंगे
4	सदस्यता	किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारण से स्वता समाप्त हो जाएगी। 1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर 3. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर 4. न्यास के नियमों का पालन न करने पर 5. न्यास की हितों के विरुद्ध कार्य करने पर 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर 7. त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर 8. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।
5	न्यास के अंग	न्यास के निम्नलिखित दो अंग होंगे 1. साधारण सभा 2. प्रबंध समिति।
6	साधारण सभा	
अ	गठन	न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे
ब	बैठके	साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक 3 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है
स	गणपूर्ति	साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50: के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी किंतु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन एजेंडा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।
द	विशेष वार्षिक अधिवेशन	साधारण सभा के विशेष अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जाएगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी
	साधारण सभा के कार्य	1. प्रबंध समिति का चुनाव करना 2. वार्षिक आय व्यय का बजट पारित करना 3. न्यास की उन्नत के लिए नीति निर्धारित करना 4. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना 5. न्यास को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होगा 6. संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं भी नियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन बहुमत से पारित करना
7	प्रबंध समिति	
क	गठन	1. प्रबंध समिति के कुल सदस्यों की संख्या दो होगी

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

		2. प्रबंध समिति का गठन न्यास मंडल के सदस्यों साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे परंतु अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष का चयन साधारण सभा द्वारा नहीं किया जाएगा क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास के अंतर्गत संस्था शिक्षण संस्थान के प्रबंध समिति का अध्यक्ष होगा यह शर्त न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगी 3. प्रबंध समिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम दो पदेन सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा। 4. प्रबंध समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा परंतु अगली प्रबंध समिति के गठन तक पिछली प्रबंध समिति प्रभावी रहेगी।
ख	बैठकें	प्रबंध समिति की बैठकें सामान्यतया वर्ष में दो बार होंगी परंतु आवश्यकता अनुसार प्रबंध समिति इनके अतिरिक्त भी बैठकें कर सकती हैं।
ग	सूचना अवधि	प्रबंध समिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व आकस्मिक बैठक 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दूरभाष द्वारा दी जा सकती है दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ–साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।
घ	गणपूर्ति	प्रबंध समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी गढ़पुर के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबंध नहीं होगा।
च	रिक्त स्थान की पूर्ति	प्रबंध समिति के अंदर रिक्त स्थान होने पर न्यास मंडल साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।
8	प्रबंध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य	
	क	संस्था शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना
	ख	संस्थान शिक्षण संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
	ग	आवश्यकतानुसार संस्था शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करना एवं उस पर भवन निर्माण कराना तथा संस्था शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय–विक्रय करना एवं पट्टे पर लेना देना।
	घ	संस्था शिक्षण संस्थान से संबंधित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना व संबंधित वांछित अभिलेखों को एकत्र करना व प्रदान करना।

Principal
Sughar Singh Academy
[illegible]depur, Karrahi Road, Barra
[illegible]pur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
[illegible], Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

	ड़	राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना समाज के निर्मल एवं बेरोजगार रोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार से संबंधित सभी मंत्रालय आयोग एवं विभागों अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम उत्तर प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय केंद्रीय महिला कल्याण निगम पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय श्रम मंत्रालय वित्त पोषण संस्थाओं विश्व बैंक के अन्य विकासशील संस्थाओं से दान अनुदान व आर्थिक सहायता रेड व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चौरिटेबल कार्यों में खर्च करना आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्था की चल एवं अचल संपत्ति को बंधन रेहन रखना।
9	प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य	
अ	अध्यक्ष	1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना 2. बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना 3. सदस्यों के नाम व कार्यवाही रजिस्टरों पर नोट करना एवं सुनाना 4. बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना 5. संस्था शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होना 6. सामान मत होने पर निर्णायक मत देना 7. संस्था शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना 8. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना 9. वे दैनिक कर्मचारियों शिक्षकों पर शिक्षकों की नियुक्ति निष्कासन वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति तथा बहाली करना 10. संस्था शिक्षण संस्थान से संबंधित बिलबर बाउचरों ऊंचे को अनुबंध पत्रों नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं अपने पास सुरक्षित रखना 11. संस्था शिक्षण संस्थान की स्वीकृत की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना 12. पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना 13. संस्था शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्रवाई करना या किसी को नियुक्त करना 14. संस्था शिक्षण संस्थान की समस्त चल अचल संपत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण करना 15. राजकीय सहायता अनुदान एवं ग्रेड प्राप्त करना 16. संस्थान शिक्षण संस्थान की ओर से केंद्रीय राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना 17. संस्थान शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना 18. संस्था शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

		19. संस्था शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।
ब	उपाध्यक्ष	1. अध्यक्ष द्वारा दिए गए समस्त कार्यों का निष्पादन करना 2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को पूर्ण रूप देना 3. बैठकों की लिखित सूचना तैयार करना 4. अध्यक्ष की सहमति से सभी कार्य करना।

9. संस्था शिक्षण संस्था के कोष।

संस्था शिक्षण संस्था की समस्त संबंधित कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या डाकघर में संस्था शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर एवं एफडी के रूप में जमा किया जाएगा जिस का संचालन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा संस्था शिक्षण संस्थान के प्रबंध समिति के किन्हीं कारणों वश भंग होने की दशा में प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्था शिक्षण संस्थान की समस्त चल अचल संपत्ति न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा भांग प्रबंध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबंध समिति के स्थान पर दूसरी वैद्य प्रबंध समिति का अनुमोदन ना हो जाए।

10. प्रतिबन्धो की स्वीकृति।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/न्यास को समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा अथवा जो लागू होगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचितजन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से सी0वी0एस0ई0 विद्यालय के संचालन हेतु कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

U Singh

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनपर पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

यह भी विदित हो कि उक्त न्यास में किसी प्रकार की कोई चल–अचल सम्पत्ति अथवा कार्यालय शामिल नहीं है।

ट्रस्ट का प्रारंभिक कोष ₹11000 है जिस पर स्टांप शुल्क ₹750 अदा किया गया। समक्ष गवाहान दुरुस्त होशो हवास में पक्षकार ने दिनांक 19.07.2023 को अपने हस्ताक्षर कर न्यास विलेख का निष्पादन किया जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इस विलय का संचालन दिनांक 19.07.2023 का किया गया।

पक्षकार निष्पादन

गवाह :–

1. रोहित कुमार पुत्र राम पाल वर्मा
निवासी–116/656 रावतपुर गांव,
कानपुर नगर
आधार–000000006014
मो0नं0–8924983399

1. विपिन कुमार सिंह

2. सौरभ दिवाकर पुत्र दशरथ दिवाकर
नि0–49सी उस्मानपुर गांव,
जूही कालोनी, कानपुर नगर
आधार–000000000920
मो0नं0–9026179194

2. श्रीमती वीना सिंह

ड्राफ्टेड बाई
राघवेन्द्र प्रताप सिंह
एडवोकेट
रजि0नं0–7612/03
मो0नं0–7007165831

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

पृष्ठ विलेख 60

आवेदन सं०: 202300849040752

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1043 के पृष्ठ 295 से 328 तक क्रमांक 380 पर दिनाँक 19/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

m. p. singh

महेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी

उप निबंधक : सदर तृतीय

कानपुर नगर

19/07/2023

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

1 of 1 1 of 1